मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur
Address: Medical College Campus Bhedaghat Road, NH-12 Jabalpur (MP) 482003
email id : registrarmpmsu@mp.gov.in , affiliationmpmsu@mp.gov.in

क्रमांक /म.प्र.आ.वि.वि./संबद्धता/2024-25/**4877** जबलपुर, दिनांक 07/11/2024

संबद्धता प्रमाण पत्र

प्रति,

Dean/Principal,
Virendra Kumar Sakhlecha Government Medical College,
NEEMUCH, M.P.

विषय : **मेडिकल (Medical)** पाठ्यक्रम हेतु आवेदन क्र. **A24N0681** सत्र **2024-25** के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से **नवीन संबद्धता (New Affiliation)** विषयक।

-----*000*----

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त मान्यता/अनुमति के आधार पर एवं कार्य-परिषद की बैठक / माननीय कुलपति महोदय अनुमोदन दिनांक 15/10/2024 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रम में सत्र 2024-25 हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा सशर्त अस्थाई एवं प्राविधिक नवीन संबद्धता प्रदान की जाती है एवं यह संबद्धता समय-समय पर जारी अधिसूचना एवं संलग्न शर्तो के अधीन जारी की जा रही है-

S.No.	Name of Course	Seats
1	MBBS(Medical)	100

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

Signature Not Verified
Digitally signed by PUSHPRAJ SINGH BAGHEL
Date: 2024.11.07 16:14:08 IST
Reason: Issue Digital Certificate
Location: Jabalpur,(M.P.)

कुलसचिव
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ. क्रमांक /म.प्र.आ.वि.वि./संबद्धता/2024-25/**4877** जबलपुर, दिनांक 07/11/2024

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ

1. सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. नामांकन/परीक्षा/गोपनीय/लीगल/लेखा/संबद्धता - शाखा, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कार्यालय कुलपति/कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by JYOTI ARORA
Date: 2024.11.07 14:47:40 IST
Reason: Issue Digital Certificate
Location: Jabalpur,(M.P.)

उप-कुलसचिव (संबद्धता)
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

" बेटी बचाओ , बेटी पढ़ाओ "

Date: 07/11/2024

विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी समस्या के निराकरण हेतु , GMS portal के url: https://mpmsu.mponline.gov.in के Helpdesk पर जाएँ

शर्तें :-

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2024-25 में संबद्धता/निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख/चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख/चाही गई जानकारी संबद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में संबद्धता/निरंतरता निरस्त की जा सकती है।
2.आगामी वर्ष 2025-26 की संबद्धता/निरंतरता हेतु भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित संबद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक-26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
4. कॉलेज कोड 28, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।और एक शिक्षक का कार्यकाल कम से कम एक सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र का होना चाहिए।
5. महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्तियां होने पर एक माह की अवधि में नियुक्ति करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय को प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक संबद्धता का अन्तरण निरस्त कर दिया जा सकेगा।और शिक्षक के कार्यभार ग्रहण अथवा कार्यमुक्त की जानकारी एक माह के अंदर विश्विद्यालय को अनिवार्यतः भेजना होगा।
6. महाविद्यालय के व्याख्यान कक्षों तथा परीक्षा हॉल में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये जाये। विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध बैठक व्यवस्था के आधार पर परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र उपलब्ध कराने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।
7. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यह संबद्धता प्रदान की जा रही है। अभिलेख असत्य पाये जाने पर संबद्धता निरस्त की जायेगी।
8. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मलित हों। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
9. महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनिवार्यतः किया जायेगा। महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करने अथवा मूल्यांकन करने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।
10. विषय से सम्बधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना होगी।
11. मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं मापदण्डों का पालन करना होगा।
12. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
13. विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक संबद्धता का अन्तरण निरस्त किया जा सकेगा।
14. महाविद्यालय में मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त किये गये प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेख (संबंधित की फोटो सहित) विश्वविद्यालय में जमा कराये जाये।
15. संबद्धता/निरंतरता हेतु आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों की पुष्टि एवं आवश्यक अर्हताओं की संबद्धता/निरंतरता हेतु आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों की पुष्टि एवं आवश्यक अर्हताओं की पूर्ति करने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण कर जांच की जा सकती है।
16. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार/मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा इस पत्र में उल्लेखित संबद्धता सत्र के लिए महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबंधित सत्र की संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. महाविद्यालय को प्रदाय की जा रही संबद्धता/ संबद्धता निरंतरता पूर्णतः अस्थाई है एवं यदि महाविद्यालय का प्रकरण किसी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो यह संबद्धता/ संबद्धता निरंतरता माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन होगा एवं माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा

" बेटी बचाओ , बेटी पढ़ाओ "

Date: 07/11/2024

विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी समस्या के निराकरण हेतु , GMS portal के url: https://mpmsu.mponline.gov.in के Helpdesk पर जाएँ